

Rule 128 : Examination of application by the Standing Committee and Screening Committee

- (1) The Standing Committee shall, within a period of two months from the date of receipt of a written application, ¹[or within such extended period not exceeding a further period of one month for reasons to be recorded in writing as may be allowed by the Authority,] in such form and manner as may be specified by it, from an interested party or from a Commissioner or any other person, examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is *prima-facie* evidence to support the claim of the applicant that the benefit of reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit has not been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
- (2) All applications from interested parties on issues of local nature ²[or those forwarded by the Standing Committee] shall first be examined by the State level Screening Committee and the Screening Committee shall, ³[within two months from the date of receipt of a written application, or within such extended period not exceeding a further period of one month for reasons to be recorded in writing as may be allowed by the Authority,] upon being satisfied that the supplier has contravened the provisions of section 171, forward the application with its recommendations to the Standing Committee for further action.

¹ Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

² Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

³ Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

नियम 128 : स्थायी समिति और छानबीन समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण

- (1) स्थायी समिति, किसी हितबद्ध पक्षकार या आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति से, उनके द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट रूप और रीति में लिखित आवेदन की प्राप्ति पर ¹[दो माह के भीतर] ²[या ऐसी विस्तारित अवधि जो लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के अधिक की हो, जो प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाए] आवेदन में उपबधित साक्ष्य की यथार्थता और यथायोग्यता का परीक्षण करेगी जिससे यह अवधारित किया जा सके कि क्या आवेदक का दावा कि किसी माल या सेवा के प्रदाय में कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, दावे के समर्थन के लिए क्या प्रथम दृष्टतया साक्ष्य है।
- (2) स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनों ³[या ऐसे आवेदन जो स्थायी समिति द्वारा अग्रेषित किए जाए] का प्रथमतः राज्य स्तरीय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा ⁴[लिखित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर या प्राधिकारी द्वारा यथा अनुज्ञात लिखित में लेखबद्ध कारणों से एक मास से अनधिक अवधि के भीतर] किया जाएगा, यह समाधान होने पर कि प्रदायकर्ता ने धारा 171 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, उसकी सिफारिशों सहित आवेदन को स्थायी समिति के पास अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा।

1 ये शब्द अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए दिए गए हैं।

2 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

4 अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।